न्यायालय :– सहायक कलक्टर (फास्ट – ट्रेक) शाहपुरा जिला जयपुर–ग्रामीण

ठासीन अधिकारी :– श्री अशोक कुमार, आर ए एस

द संख्या :– 88/2022

शीर्षक

1. विपुल अग्रवाल पुत्र श्री रामचन्द्र अग्रवाल जाति महाजन निवासी प्लाट नंबर 9–10, गोपाल नगर ए, गोपालपुरा बाईपास, जयपुर।
2. आदित्य अवस्थी पुत्र श्री शिवदयाल शर्मा जाति ब्राह्मण, निवासी 224 तुलसी मार्ग, बनीपार्क जयपुर।

– वादी

बनाम

1. गुलाबी पत्नी भंवरा
2. गोपाल लाल पुत्र भंवरा
3. राजेन्द्र कुमार पुत्र भंवरा
4. झूथी देवी पत्नी कालू
5. तीजा पत्नी सरदारा
6. संतराम पुत्र सरदारा
7. धोलूराम पुत्र कालू
8. सरोज देवी पत्नी कालू
9. राकेश पुत्र कालू
10. रामदास पुत्र मुरली
11. श्रवण पुत्र मुरली

समस्त जाति कुम्हार (प्रजापति), निवासी ग्राम शिवपुरी, तहसील शाहपुरा, जिला जयपुर।

12. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार तहसील शाहपुरा जिला जयपुर राज0।

– प्रतिवादीगण

दावा बाबत् बंटवारा एवं स्थायी निषेधाज्ञा अन्तर्गत धारा–53 व 188 आर.टी.ए.

निर्णय दिनांक 3/5/24

वाद संक्षेप इस प्रकार है कि कृषि भूमि खसरा नंबर 8079 रकबा 0.5900 है0 वाकै ग्राम शिवपुरी, भू0अ0नि0 क्षेत्र मनोहरपुर, तहसील शाहपुरा जिला जयपुर में स्थित है। इस कृषि भूमि को वादपत्र के आगे के पैराज में भूमि विवादग्रस्त कहा गया है। उक्त वर्णित भूमि खसरा नंबर 8079 वादी संख्या 1 का सम्पूर्ण भूमि में 22/59 हिस्से का खातेदार काश्तकार है तथा वादी संख्या 2 का सम्पूर्ण भूमि में 22/59 हिस्से का खातेदार काश्तकार है अर्थात् वादीगण का 22/59 हिस्से के खातेदार है तथा इस प्रकार वादीगण अपने अपने हिस्से पर काबिज काश्त है तथा मौके पर मौखिक विभाजन के अनुसार उत्तरी हिस्से की भूमि पर काबिज काश्त है तथा दक्षिणी हिस्से पर प्रतिवादीगण संख्या 1 लगायत 11 काबिज काश्त है। सम्पूर्ण विवादग्रस्त भूमि खसरा नंबर 8079 है। यह कृषि भूमि राजस्व रिकॉर्ड में शामलाती कृषि भूमि है जिस पर जमाबंदी में वर्णित हिस्से के अनुसार वादीगण रिकॉर्डेड खातेदार काश्तकार है तथा अपने हिस्से पर काबिज काश्त है तथा शेष हिस्से के

सहायक कलक्टर
शाहपुरा (जिला-जयपुर) राज.

खातेदार प्रतिवादी संख्या 1 लगायत 11 है। सभी पक्षकारान् अपने–अपने राजस्व रिकॉर्ड जमाबंदी में वर्णित हिस्सों के अनुसार मौखिक विभाजन के अनुसार कृषि कर अपने अपने हिस्से की भूमि की उपज प्राप्त करते आ रहे है तथा काबिज होकर काश्त करते आ रहे है तथा भूमि विवादग्रस्त में मौके पर विभाजन करके अपने अपने हिस्से पर काश्त कर उपज का उपयोग उपभोग कर लगान सरकारी शामिल में जमा कराते आ रहे है।

विवादग्रस्त भूमि राजस्व रिकॉर्ड में शामलाती कृषि भूमि है तथा वादी को अपने हिस्से पर शान्तिपूर्वक काश्त करने में व भूमि का उपयोग उपभोग करने में मुश्किल होती जा रही है तथा अब प्रतिवादीगण अनावश्यक रूप से आये दिन वादी को हैरान व परेशान करते रहते है तथा भूमि का राजस्व रिकॉर्ड में अविभाजित भूमि होने से वादीगण के हक व हिस्से की भूमि को विक्रय करने व वादीगण को भूमि से बेदखल करने की धमकी देने लग गये है तथा भूमि पर जबरन बाउन्ड्री वाल लगा कर सम्पूर्ण भूमि पर अवैध रूप से कब्जा करने तथा वादी को जबरन बेदखल करने का प्रयास करने लग गये है तथा वादी के हिस्से की भूमि के उपयोग उपभोग में बाधा डालने लग गये है। इसलिए वादी के लिए अब भूमि विवादग्रस्त पर शामिल में कृषि करते रहना व उपयोग उपभोग करते रहना मुश्किल होता जा रहा है इसलिए वादी को अपने हिस्से की भूमि का अलग से विधिवत् रूप से विभाजन करवा कर अलग से खातेदारी प्राप्त करना आवश्यक हो गया है। प्रतिवादीगण के मन में बदनियति उत्पन्न हो जाने से एवं वादीगण की भूमि को हड़प कर वादी के हिस्से की भूमि का नाजायज रूप से सम्पूर्ण भूमि पर कब्जा करना चाहते है तथा वादीगण को बेदखल करना चाहते है तथा भूमि का गैरकानूनी रूप से बेचान कर उपयोग उपभोग में बाधा उत्पन्न करना चाहते है, जिस कारण से वादीगण को अपने विधिक अधिकारों की रक्षा के लिए मान्य न्यायालय के समक्ष यह दावा बाबत् विभाजन एवं स्थाई निषेधाज्ञा का प्रस्तुत किया जाना आवश्यक हो गया है।

अन्त में निवेदन किया कि हाल आराजी खसरा नंबर 8079 रकबा 0.5900 है0 वाकै ग्राम शिवपुरी, भू0अ0नि0 क्षेत्र मनोहरपुर, तहसील शाहपुरा जिला जयपुर की भूमि का वादी संख्या 1 व 2 के हिस्से का मौके पर किये गये मौखिक विभाजन के अनुसार उत्तरी भाग की भूमि पर प्राप्त कब्जे काश्त के अनुसार विभाजन किया जाकर वादीगण को प्राप्त उत्तरी हिस्से की भूमि की खातेदारी वादीगण को अलग से प्रदान की जावे तथा शेष दक्षिणी हिस्से की भूमि की खातेदारी प्रतिवादीगण संख्या 1 लगायत 11 के हिस्से में रहने दी जावे व इसी अनुसार लगान सरकारी अलग से कायम किया जावे तथा वादी के हिस्से में आयी भूमि के कब्जे काश्त में प्रतिवादीगण किसी प्रकार की कोई बैजा दखलअन्दाजी पैदा नही करे। वादी को शांति पूर्वक काबिज रहकर काश्त करने देवे व जबरन ताकत के बल पर बेदखल नही करे तथा उक्त आराजी मुतनाजा पर किसी प्रकार का कोई कच्चा पक्का निर्माण कार्य नही करे व राजस्व रिकार्ड एवं मौके की यथा स्थिति बनाये रखे।

प्रकरण दर्ज रजिस्टर किया जाकर विधिवत प्रतिवादीगण को नोटिस जारी किये गए। बाद तामील जरिये रजिस्टर्ड डाक से प्रतिवादीगण संख्या 1 लगायत 11 प्रकरण में उपस्थित नहीं आये। प्रकरण में दिनांक 02.11.2022 को प्रतिवादीगण संख्या 1 लगायत 11 के विरूद्ध एकपक्षीय कार्यवाही अमल में लाई गई। प्रकरण में वकील वादी ने प्राथमिक डिक्री किये जाने का निवेदन किया। वकील वादी को सुना गया एवं पत्रावली का अवलोकन किया गया। प्रतिवादीगण के विरूद्ध एकपक्षीय कार्यवाही अमल में लाई जाने से एवं दावा बंटवारा व स्थाई निषेधाज्ञा का होने से प्रकरण को दिनांक 02.11.2022 को प्राथमिक डिक्री किया जाकर तहसीलदार शाहपुरा को बंटवारा/कुर्रेजात रिपोर्ट भिजवाने हेतु आदेशित किया।

प्रकरण में तहसीलदार शाहपुरा के पत्रांक/भू0अ0/2023/784 दिनांक 28.02.2023 द्वारा बंटवारा रिपोर्ट प्राप्त हुई। बंटवारा कुर्रेजात पर वकील वादी को सुना गया। वकील वादी ने अपनी बहस में कथन किया कि प्रकरण में प्राप्त बंटवारा रिपोर्ट नायब तहसीलदार मनोहरपुर द्वारा तैयार की गई है व बंटवारा

सहायक कलक्टर
शाहपुरा (जिला-जयपुर) राज.

Scanned with OKEN Scanner

प्रस्ताव पर तहसीलदार शाहपुरा द्वारा प्रतिहस्ताक्षरित कर बंटवारा प्रस्ताव भिजवाया गया है जबकि बंटवारा प्रस्ताव तहसीलदार शाहपुरा द्वारा बनाया जाना था। अतः प्रकरण में पुनः कुर्रेजात रिपोर्ट हेतु तहसीलदार शाहपुरा को मौका कमिश्नर नियुक्त कर कुर्रेजात रिपोर्ट मंगवाई जाना न्यायनुमत एवं न्यायसंगत है। वकील वादी की बहस सुनी गई। प्राप्त कुर्रेजात रिपोर्ट का अवलोकन किया गया जिससे जाहिर होता है बंटवारा प्रस्ताव तहसीलदार शाहपुरा द्वारा नहीं बनाया जाकर नायब तहसीलदार मनोहरपुर द्वारा बनाया गया है। अतः प्रकरण में पुनः कुर्रेजात रिपोर्ट भिजवाने हेतु तहसीलदार शाहपुरा को आदेशित किया गया। प्रकरण में तहसीलदार शाहपुरा के पत्रांक/भू0अ0/2024/736 दिनांक 07.02.2024 द्वारा पुनः कुर्रेजात रिपोर्ट प्राप्त हुई है। वकील वादी ने प्राप्त बंटवारा प्रस्ताव का अवलोकन किया। अवलोकन उपरांत वकील वादी ने बंटवारा/कुर्रेजात रिपोर्ट अनुसार वाद–पत्र को अन्तिम डिक्री किये जाने हेतु निवेदन किया। पत्रावली का अवलोकन किया गया। बहस पर मनन किया गया। बंटवारा प्रस्ताव सही होने से दावा अंतिम डिक्री किया जाना उचित समझते है।

न्यायालय सहायक कलक्टर शाहपुरा जिला-जयपुर (राज.) सत्यमेव जयते

आदेश

अतः उपर्युक्त विवेचन के फलस्वरूप तहसीलदार शाहपुरा से प्राप्त बंटवारा रिपोर्ट अनुसार वादी का दावा अन्तिम डिक्री किया जाता है कि ग्राम शिवपुरी, पटवार हल्का मनोहरपुर, तहसील शाहपुरा जिला जयपुर के हाल आराजी खसरा नंबर 8079 रकबा 0.59 है0 कुल किता 1 कुल रकबा 0.59 है0 भूमि का खातेदारान के मध्य बंटवारा कर निम्नानुसार पृथक–पृथक खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है :–

1. **आदित्य भवस्थी पुत्र शिवदयाल शर्मा हि0 1/2 जाति ब्राह्मण, निवासी 224 तुलसी मार्ग बनी पार्क जयपुर, विपुल कुमार अग्रवाल पुत्र रामचन्द्र अग्रवाल जाति महाजन हि0 1/2 निवासी प्लाट नं. 9, 10, गोपाल नगर ए, गोपालपुरा बाईपास रोड, जयपुर खातेदार के हिस्से में आराजी खसरा नंबर 8079/1 रकबा 0.4400 है0 कुल किता 1 कुल रकबा 0.4400 है0 भूमि रहेगी।**
2. **गुलाबी पत्नि भंवरा हि0 1/15, गोपाल पुत्र भंवरा हि0 1/15, राजेन्द्रकुमार पुत्र भंवरा हि0 1/15, झूंथी पत्नि कालू हि0 43/1500, राकेश पुत्र कालू हि0 107/1500, धोलू पुत्र कालू हि0 107/1500, सरोज देवी पत्नि कालू हि0 43/1500, रामदास पुत्र मुरली हि0 3/15, श्रवण पुत्र मुरली हि0 3/15, तीजा पत्नि सरदारा हि0 1/15, सन्तराम पुत्र सरदारा हि0 1/15 जाति कुम्हार सा0 देह खातेदार के हिस्से में आराजी खसरा नंबर 8079/2 रकबा 0.1500 है0 कुल किता 1 कुल रकबा 0.1500 है0 भूमि रहेगी।**

तहसीलदार शाहपुरा से प्राप्त बंटवारा कुर्रेजात रिपोर्ट व नक्शा ट्रेस निर्णय का जुज रहेगा। तदानुसार राजस्व रिकॉर्ड में अमल दरामद हेतु तहसीलदार शाहपुरा को लिखा जावें। वादीगण/प्रतिवादीगण को स्थायी निषेधाज्ञा से पाबन्द किया जाता है कि वे एक दूसरे के कब्जे काश्त में किसी तरह मजाहमत एवं दखलन्दाजी पैदा नही करें। पर्चा डिक्री जारी हो। पत्रावली फैसल शुमार होकर दर्ज नंबर से कम हों।

निर्णय आज दिनांक 3/4/2024 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर सरे इजलास सुनाया गया।

(अशोक कुमार)
सहायक कलक्टर (फास्ट ट्रेक)
शाहपुरा जिला जयपुर ग्रामीण

सहायक कलक्टर शाहपुरा (जिला जयपुर) राज.

Scanned with OKEN Scanner

प्रपत्र – 5

मूल वाद में डिक्री
(आदेश 20 के नियम 6 और 7)

न्यायालय :– सहायक कलक्टर (फास्ट – ट्रेक) शाहपुरा जिला जयपुर–ग्रामीण

ीठासीन अधिकारी :– श्री अशोक कुमार, आर ए एस

ाद संख्या :– 88/2022

शीर्षक

1. विपुल अग्रवाल पुत्र श्री रामचन्द्र अग्रवाल जाति महाजन निवासी प्लाट नंबर 9–10, गोपाल नगर ए, गोपालपुरा बाईपास, जयपुर।
2. आदित्य अवस्थी पुत्र श्री शिवदयाल शर्मा जाति ब्राह्मण, निवासी 224 तुलसी मार्ग, बनीपार्क जयपुर।

– वादी

बनाम

1. गुलाबी पत्नी भंवरा
2. गोपाल लाल पुत्र भंवरा
3. राजेन्द्र कुमार पुत्र भंवरा
4. झूथी देवी पत्नी कालू
5. तीजा पत्नी सरदारा
6. संतराम पुत्र सरदारा
7. धोलूराम पुत्र कालू
8. सरोज देवी पत्नी कालू
9. राकेश पुत्र कालू
10. रामदास पुत्र मुरली
11. श्रवण पुत्र मुरली

समस्त जाति कुम्हार (प्रजापति), निवासी ग्राम शिवपुरी, तहसील शाहपुरा, जिला जयपुर।

12. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार तहसील शाहपुरा जिला जयपुर राज0।

– प्रतिवादीगण

<u>दावा बाबत् बंटवारा एवं स्थायी निषेधाज्ञा अन्तर्गत धारा–53 व 188 आर.टी.ए.</u>

निर्णय दिनांक 3/5/24

अतः उपर्युक्त विवेचन के फलस्वरूप तहसीलदार शाहपुरा से प्राप्त बंटवारा रिपोर्ट अनुसार वादी का दावा अन्तिम डिक्री किया जाता है कि ग्राम शिवपुरी, पटवार हल्का मनोहरपुर, तहसील शाहपुरा जिला जयपुर के हाल आराजी खसरा नंबर 8079 रकबा 0.59 है0 कुल किता 1 कुल रकबा 0.59 है0 भूमि का खातेदारान के मध्य बंटवारा कर निम्नानुसार पृथक–पृथक खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है :–

1. आदित्य भवस्थी पुत्र शिवदयाल शर्मा हि0 1/2 जाति ब्राह्मण, निवासी 224 तुलसी मार्ग बनी पार्क जयपुर, विपुल कुमार अग्रवाल पुत्र रामचन्द्र अग्रवाल जाति महाजन हि0 1/2 निवासी प्लाट नं. 9, 10, गोपाल नगर ए, गोपालपुरा बाईपास रोड, जयपुर खातेदार के हिस्से में आराजी खसरा नंबर 8079/1 रकबा 0.4400 है0 कुल किता 1 कुल रकबा 0.4400 है0 भूमि रहेगी।

सहायक कलक्टर

Scanned with OKEN Scanner

2. **गुलाबी पत्नि भंवरा हि0 1/15, गोपाल पुत्र भंवरा हि0 1/15, राजेन्द्रकुमार पुत्र भंवरा हि0 1/15, झूंथी पत्नि कालू हि0 43/1500, राकेश पुत्र कालू हि0 107/1500, धोलू पुत्र कालू हि0 107/1500, सरोज देवी पत्नि कालू हि0 43/1500, रामदास पुत्र मुरली हि0 3/15, श्रवण पुत्र मुरली हि0 3/15, तीजा पत्नि सरदारा हि0 1/15, सन्तराम पुत्र सरदारा हि0 1/15 जाति कुम्हार सा0 देह खातेदार के हिस्से में आराजी खसरा नंबर 8079/2 रकबा 0.1500 है0 कुल किता 1 कुल रकबा 0.1500 है0 भूमि रहेगी।**

तहसीलदार शाहपुरा से प्राप्त बंटवारा कुर्रेजात रिपोर्ट व नक्शा ट्रेस निर्णय का जुज रहेगा। तदानुसार राजस्व रिकॉर्ड में अमल दरामद हेतु तहसीलदार शाहपुरा को लिखा जावें। वादीगण/प्रतिवादीगण को स्थायी निषेधाज्ञा से पाबन्द किया जाता है कि वे एक दूसरे के कब्जे काश्त में किसी तरह मजाहमत एवं दखलन्दाजी पैदा नही करें। पत्रावली फैसल शुमार होकर दर्ज नंबर से कम हों।

निर्णय व डिक्री आज दिनांक 3/4/2024 को मेरे हस्ताक्षर व न्यायालय मुद्रा से जारी की गई।

(अशोक कुमार)
सहायक कलक्टर (फास्ट ट्रेक)
शाहपुरा जिला जयपुर-ग्रामीण

सहायक कलक्टर शाहपुरा (जिला-जयपुर) राज.

वाद के खर्चे

वादी		प्रतिवादी	
	रूपया		रूपया
1. वाद पत्र के लिए स्टाम्प 2. शक्ति पत्र के लिए स्टाम्प 3. प्रदर्शो के लिए स्टाम्प 4. .... रूपये पर प्लीडर की फीस 5. साक्षियों के लिए निर्वाह – व्यय 6. कमिश्नर की फीस 7. आदेशिका की तामिल		शक्ति पत्र के लिए स्टाम्प अर्जी के लिए स्टाम्प प्लीडर की फीस साक्षियों के लिए निर्वाह व्यय आदेशिका की तामील कमिश्नर की फीस	
जोड़		जोड़	

Scanned with OKEN Scanner